


①

(65)

290

**न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व
मण्डल क्वालिफर कैम्प कोर्ट रीवा (म०प्र०)**



Rs. 20/-

श्रीमती निर्मला पटेल पत्नी राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी
जी०डी० कालोनी रायसेन, जिला-रायसेन म०प्र०

—आवेदिका/निगमनीकर्ता

बनाम्

- 1- बैजनाथ तिवारी तनय भागवत प्रसाद तिवारी
- 2- (भागवत प्रसाद तिवारी तनय विशेष राम तिवारी
दोनो निवासी ग्राम-कोष्ठा, तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला-रीवा

म०प्र०

— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर
कलेक्टर साहब रीवा द्वारा प्रकरण
कमांक 244/अ-6/निगरानी/11-12
में पारित आदेश दिनांक 22-08-13
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई०

मान्यवर

निगरानी प्रकरण के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश
विधि, प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों एवं म०प्र०
भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे
जाने योग्य नहीं है।
- 2- यह कि भूमि नम्बर-1082 रकवा 0.081हे० स्थित
ग्राम-कोष्ठा, तहसील-रायपुर कर्चु०, के भूमिस्वामी अनावेदक
कमांक-2 भागवत प्रसाद थे, उक्त भूमि सहित 10 किता
भूमियां उन्हें पारिवारिक आपसी हिस्साबांट में प्राप्त हुई थी।
अनावेदक कमांक-2 ने उक्त भूमि नम्बर-1082/2 का अंश

M

1082

S35
13.9.13

R. 4174-111/13

श्रवता श्री रामादेवा
प. इ. रा. 13.9.13

आफ कांटे
काल मण्डल म०प्र० क्वालिफर
कोर्ट रीवा

7/11/13

5-1

2 क. बैलगाथा विवाही ख. अनंतराज विवाही ग. गोविंद प्रसाद विवाही घ. अवधेश्वर विवाही	}	इसी संविदा का भागवत रूप विवाह इसी विवाह आरं. मेहरा बहली - (144) अर्थात् विवाह (100) (100) — अंतराजय
---	---	--

नोट - राजनीय विचारों के अन्तर्गत के संसद-2
 की राज कार्य अथवा विचार-विमर्श
 की राज कार्य अथवा

म

5-1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-रीवा

प्रकरण क्रमांक R4174-III/13

श्रीमती निर्मला पटेल / बैजनाथ तिवारी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा सौधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 244/अ-6/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	